C

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक– 31/8/2016

संख्या– 1/श्रम वि०स्था० (1) 10–03/2016 श्र०सं० 153 / विभागीय संकल्प सं० 2441, दिनांक 28.08.2015 द्वारा श्रम सेवा (सामान्य) के अन्तर्गत श्रम अधीक्षकों के पदों के एकीकरण, पुनर्विन्यास एवं क्षेत्राधिकार निर्धारण किया गया है, जिसमें श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक) के पद को समाप्त कर दिया गया है। इस कारण पूर्व से स्वीकृत उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) के पदों को समाप्त कर नये सिरे से उप श्रमायुक्त के पदों के एकीकरण, पुनर्विन्यास एवं क्षेत्राधिकार निर्धारण किया जाना अपेक्षित हो जाता है। एतद्विषयक पूर्व में निर्गत सभी सरकारी आदेशों को अवक्रमित करते हुए श्रम सेवा (सामान्य) के अन्तर्गत उप श्रमायुक्त के 6 पदों का पदनाम, मुख्यालय एवं क्षेत्राधिकार निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है :–

क्र०	पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार (प्रमण्डल)
1	उप श्रमायुक्त, पटना	**पटना**	पटना
2	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	**भागलपुर**	भागलपुर एवं पूर्णियाँ
3	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	**मुजफ्फरपुर**	तिरहुत (मुजफ्फरपुर) एवं सारण (छपरा)
4	उप श्रमायुक्त, गया	**गया**	मगध (गया)
5	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	**दरभंगा**	दरभंगा एवं कोशी (सहरसा)
6	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	**बेगूसराय**	मुंगेर

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

31.8.16

(भुवनेश्वर मिश्रा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/श्रम वि०स्था० (1) 10–03/2016 श्र०सं० 153 / पटना, दिनांक–31/8/2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/श्रम सेवा (सामान्य एवं तकनीकी) के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.8.16

सरकार के अपर सचिव।